मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
//सूचना//

भोपाल दिनांक 4-12-20

क्रमांक–एफ–3–49/2018/18–5, एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह–संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत राजगढ़ निवेश क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से तीस दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव, म0प्र0 नगरीय विकास एवं आवास विभाग, द्वितीय तल, एनेक्सी भवन–2, मंत्रालय भोपाल, मध्य प्रदेश
2. कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय– राजगढ़, मध्य प्रदेश
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका राजगढ़, जिला– राजगढ़, मध्य प्रदेश

<u>अधिसूचना में वर्णित प्रस्ताव</u>

(अ) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 की पुस्तिका में कतिपय स्थानों पर टंकण/मुद्रण त्रुटियां परीलक्षित हुई है। जिन्हें अंतिम विकास योजना की पुस्तिका में सुधार किया जाना आवश्यक है ये टंकण/मुद्रण त्रुटियां निम्नानुसार है :–

(1) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप)2031 की कंडिका 1.3 योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन में कुल 50.00 हजार के स्थान पर कुल जनसंख्या 50 हजार पढ़ा जावे।

(2) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप)2031 की कंडिका 1.5 विकास योजना का समग्र मूल्यांकन में विकास योजना वर्ष 2004 से प्रभावशील हुई थी के स्थान पर विकास योजना वर्ष 2006 में प्रभावशील हुई थी, पढ़ा जावें।

(3) राजगढ़ विकास योजना(प्रारूप)2031 की कंडिका 2.9.6 औद्योगिक में उल्लेखित राजगढ़ नगर रेल तथा सड़क मार्ग जुड़ा होने के स्थान पर राजगढ़ नगर सड़क मार्ग से जुड़ा होना पढ़ा जावे।

(ब) भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण : –

(1) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 के रंगीन मानचित्र 2.3 में ग्राम राजगढ के खसरा क्रमांक 614/2 में से रकबा 4.00 हेक्टेयर भूमि का भूमि उपयोग आमोद –प्रमोद के अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान, प्रस्तावित वाणिज्यिक, प्रस्तावित मार्ग एवं कृषि उपयोग से प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग भूमि उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

(2) राजगढ़ विकास योजना 2031 के रंगीन मानचित्र 2.3 में राजगढ़ स्थित प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन के उत्तर दिशा में प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग के स्थान पर प्रस्तावित मिश्रित उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

(स) राजगढ़ (प्रारूप) विकास योजना 2031 में अन्य प्रस्तावित उपांतरण : –

(1) राजगढ़ (प्रारूप) विकास योजना 2031 की कंडिका 3.5 मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई की सारणी 3–सा–2 के क्रमांक 22 एन.एच.12 से गायत्री मंदिर तक मार्ग की चौड़ाई प्रस्तावित 7.50 मीटर के स्थान पर 12.00 मीटर प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

2. राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 की कंडिका क्रमांक 4.6.1 के पश्चात कंडिका क्रमांक 4.6.2 अंतः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4.6.2 सूचना प्रौद्योगिकी हेतु मापदण्ड

सूचना प्रौद्योगिकी के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(क) के अनुसार मान्य होगा।

3. राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 की कंडिका क्रमांक 4.18 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति की सारणी 4–सा–10 के अनुक्रमांक 6 एवं 9 के कॉलम 4 के अंत में निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अनुक्रमांक	भूमि उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग
अनुक्रमांक 6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	"सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग"**,
अनुक्रमांक 9	कृषि	"सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत हों"

व्याख्या –

i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि म.प्र शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।

ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते है। समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग